



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बडौत

दिनाँक 04.09.2022

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 829/22 धारा 302 भादवि का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से आलाकत्ल एक तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 04.09.2022 को थाना बडौत पर वादी श्री राजीव कुमार पुत्र श्री शिवकुमार निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसके भतीजे सन्नी पुत्र संजीव उम्र करीब 23 वर्ष की अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 829/22 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 829/22 धारा 302 भादवि का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्त के कब्जे से आलाकत्ल एक तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल स्पलैण्डर नं0 UP-14ES-8184 बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- धीरज उर्फ छोला पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत।

पुछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त धीरज उर्फ छोला ने पुछताछ पर बताया कि मृतक सन्नी पुत्र संजीव मेरा दोस्त था, जिस कारण इसका मेरे घर पर आना जाना था। सन्नी मेरी बहन पर गलत नजर रखता था, इस बात का पता लगने के बाद मैंने सन्नी को कई बार समझाया लेकिन वह नहीं माना गुरूसे मे आकर मैंने गोली मारकर सन्नी की हत्या कर दी।

बरामदगी का विवरण:-

- आलाकत्ल एक तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस।
- घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 स्पलैण्डर नं0 UP-14ES- 8184

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्र0नि0 श्री नोवेन्द्र सिंह सिरौही थाना बडौत।
- 2- व0उ0नि0 श्री शिवदत्त सिंह थाना बडौत।
- 3-उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना बडौत।
- 4- उ0नि0 श्री जगवीर सिंह थाना बडौत।
- 5- उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना बडौत।
- 6- है0का0 410 राजवीर सिंह थाना बडौत।
- 7- का0 166 कुलदीप देशवाल थाना बडौत।
- 8- का0 402 विशाल पुनिया थाना बडौत।
- 9- का0 403 नितिन त्यागी थाना बडौत।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 04.09.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए बाद पुलिस मुठभेड़ 03 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 1 खोखा कारतूस, एक अवैध पिस्टल, लूटा हुआ एक मोबाइल, 6000 रूपये नगद, एक आधार कार्ड, एक डी.एल तथा घटना में प्रयुक्त एक मोसा0 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04/09/2022 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी श्री ज्ञानेन्द्र सिंह पुत्र श्री देवदत्त निवासी ग्राम ईकडी थाना सरधना जनपद मेरठ ने सूचना दी की वह दिनांक 04-09-2022 की रात्री में अपनी स्कूटी लेकर अपने गांव से अपनी ससुराल खानपुर जा रहा था । मेरठ – बागपत रोड पर सुबह करीब 04:00 बजे पीछे से बाईक पर



सवार 03 अज्ञात बदमाशों ने उसका कालर पकड लिया जिससे उसकी स्कूटी नीचे गिर गई । बदमाशों ने उससे तमंचा दिखाकर एक मोबाइल सैमसंग, 6000 रूपये, एक आधार कार्ड, 01 डीएल व 01 कार्ड लूट लिया । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 329/22 धारा 394 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं लूटेरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए बाद पुलिस मुठभेड़ 03 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01

जिन्दा व 1 खोखा कारतूस, एक अवैध पिस्टल, लूटा हुआ एक मोबाइल, 6000 रुपये नगद, एक आधार कार्ड, एक डी.एल, 01 कार्ड तथा घटना में प्रयुक्त एक मोसा0 कैलिवर नं0 DL-4SAD-7047 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-इमरान उर्फ बिगाडू पुत्र श्याम निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-रवि पुत्र जगदीश गुर्जर निवासी बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-गौरव पुत्र रधेश जोगी निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर।
- एक अवैध पिस्टल।
- लूटा हुआ एक मोबाइल फोन सैमसंग।
- लूटे हुए 6000 रुपये नगद।
- लूटा हुआ एक आधार कार्ड।
- लूटा हुआ एक डी.एल।
- लूटा हुआ एक फोटो व एक कार्ड।
- घटना में प्रयुक्त एक मोसा0 कैलिवर नं0 DL-4SAD-7047

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

गिरफ्तार अभियुक्तों इमरान उर्फ बिगाडू का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 23/17 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 76/17 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0सं0 03/17 धारा 379/411 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 4-मु0अ0सं0 53/17 धारा 392/411 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 5-मु0अ0सं0 57/17 धारा 411/414/420 भादवि व धारा 41/102 सीआरपीसी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 6- मु0अ0सं0 145/17 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 7-मु0अ0सं0 1123/18 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

- 8-मु0अ0सं0 1242/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 9-मु0अ0स0 855/22 धारा 323/506 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 10-मु0अ0सं0 216/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा बागपत जनपद बागपत ।
- 11-मु0अ0सं0 779/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 12-मु0अ0स0 329/22 धारा 392/411 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 13-मु0अ0स0 330/22 धारा 307 (पुलिस मुठभेड) थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 14-मु0अ0स0 331/22 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्तों रवि का आपराधिक इतिहास –

- 1-मु0अ0स0 855/22 धारा 323/506 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0स0 329/22 धारा 392/411 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0स0 330/22 धारा 307 (पुलिस मुठभेड) थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 4-मु0अ0स0 332/22 धारा 6/25 आर्म्स एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्तों गौरव का आपराधिक इतिहास –

- 1-मु0अ0स0 855/22 धारा 323/506 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0स0 329/22 धारा 392/411 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0स0 330/22 धारा 307 (पुलिस मुठभेड) थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान ।
- 2-उ0नि0 श्री प्रियवृत्त आर्य ।
- 3-का0 48 आकाश ।
- 4-का0 1055 सुचेन्द्र ।
- 5-का0 442 प्रमोद कुमार ।
- 6-का0 783 हिमांशु ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनांक 04.09.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा, पशु क्रूरता अधिनियम में 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक गाडी महेन्द्रा पिकअप जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 05 पशु बरामद ।

कार्यवाही-

जनपद बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करोँ गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त रिहान को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे एक गाडी महेन्द्रा पिकअप जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 05 पशु बरामद है।



की
के
से
हुए

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना सिंघावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-रिहान पुत्र गफ्फार निवासी बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक गाडी महेन्द्रा पिकअप न0 UP-17-BT-1349
- क्रूरतापूर्वक भरे हुए 05 पशु।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री प्रियव्रत ।
- 2- का0 442 प्रमोद ।
- 3- का0 783 हिमांशू ।